

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2017/ ~~2631~~ 2631


दिनांक: 17/8/17

-:आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम आदेश:-

श्री बालकृष्ण तिवारी, सहायक लेखाधिकारी-1 के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1651 दिनांक 11.07.2017 में चाहे अनुसार कार्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1.	श्री बालकृष्ण तिवारी, सहा0 लेखा0-1 आं.जां. दल प्रथम जोन-जोधपुर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सायला, प्रारम्भ से 03/17	04.07.17 से 18.07.17	04.07.17 से 26.07.17
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला, 04/11 से 03/17		19.07.17 से 31.07.17	27.07.17 से 13.08.17	
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जसवन्तपुरा, प्रारम्भ से 03/17		02.08.17 से 21.08.17	14.08.17 से 08.09.17	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा, 04/08 से 03/17		22.08.17 से 31.08.17	09.09.17 से 29.09.17	

उक्त संशोधन पश्चात कार्यक्रम हेतु समय-समय पर जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे:-


वित्तीय-सलाहकार,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,


राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 17/8/17

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2017/ 2631

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जोधपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सायला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जसवन्तपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा।
5. श्री बालकृष्ण तिवारी, सहायक लेखाधिकारी-1 आं.जां. दल जोन-जोधपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


लेखाधिकारी,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान, जयपुर